



B S N L Employees Union

M.P. Circle, BHOPAL

(Regd. No. 4896)

(The Only Recognised union in BSNL)

OFFICE: 1195, Lal Kothi, Near Brij Sweets, Shahi Naka Road, Gulauatal, Garha, JABALPUR, (MP)

Phone:- 0761-2425789

Website:- www.bsnleump.org

Mobile:- 94251 24499

Circle Secretary

Email: srnayak68@yahoo.in

Circle President

S.R.Nayak

B.S.Raghuwanshi

कमांक: बीएसएनएलईयू एमपी /

दिनांक 02-02-2012

फलेश न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने 8 कम्पनियों के 122 लाइसेंस रद्द किए-जुर्वाना भी ठोका

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खण्ड पीठ ने 11 प्राइवेट कम्पनियों के 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। माननीय न्यायाधीश जी.एस.सिंघवी एवं माननीय न्यायाधीश ए.के.गांगुली की खंडपीठ ने 2जी स्पेक्ट्रम के अलाटमेंट में हुए एक लाख 76 हजार करोड़ रूपयों के अब तक के सबसे बड़े घोटाले को देश की जनता के सामने उजागर कर दिया है।

लायसेंस रद्द करने वाली कम्पनियों का विवरण इस प्रकार है:-

1. यूनितेक वायरलेस - 22 लायसेंस
2. लूप टेलीकाम प्राइवेट लिमि. - 21 लायसेंस
3. वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन - 21 लायसेंस
4. एरिसाल डी.बी.टेलीकाम प्राइवेट लिमि. - 15 लायसेंस
5. एस टेल लिमि. - 06 लायसेंस
6. सिस्टेमा श्याम टेलीकम्यूनिकेशन - 21 लायसेंस
7. आइडिया सेलुलर - 13 लायसेंस
8. टाटा टेलीसर्विसेस - 03 लायसेंस

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 122 लाइसेंस रद्द करने से लगभग 5 करोड़ ग्राहक प्रभावित होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि, जिन कम्पनियों के लायसेंस रद्द होंगे वे आगामी 4 महीनों तक दूर संचार सेवाएं देती रहेंगी तथा इस अवधि में ट्राई नए सिरे से 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के सुझाव जारी करेगी। न्यायालय ने यूनितेक, स्वान टेलीकाम और टाटा टेली सर्विसेस पर 5-5 करोड़ रूपयों का जुर्वाना भी ठोका है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है तथा इससे घोटालों में गले तक फंस चुके देश की जनता की आंखे खुलेंगी।